संख्या–3521 प्रो0/51–2007–20(35)/2007

प्रेषक,

शशांक शेखर सिंह,
मंत्रिमण्डलीय सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकॉल अनुभाग) लखनऊः दिनांकः 03 जुलाई, 2007

विषयः– राज्य के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार के मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्य मंत्रिगण/मा0 उप मंत्रिगण तथा अन्य विशिष्ट महानुभावों के प्रति शिष्टाचार एवं सौजन्य व्यवहार का निर्वहन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, जिनमें प्रदेश के मा0 मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के जिलों में भ्रमण के दौरान उनके प्रति यथोचित सम्मान एवं शिष्टाचार का निर्वहन करना तथा उनकी गरिमा के अनुरूप संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में निदेश निर्गत किये गये हैं, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के मा0 मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण/उप मंत्रिगण के गृह जनपद के औपचारिक अथवा अनौपचारिक भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा से सम्बन्धित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेंगी।

2– यह भी निर्णय लिया गया कि मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्य मंत्रिगण/मा0 उप मंत्रिगण के अपने गृह जनपद में भ्रमण के समय उनके अधीनस्थ विभाग/विभागों के सम्बन्धित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी शिष्टाचार से सम्बन्धित पूर्व निर्गत निदेशों का अनुशीलन करते हुए उनसे सदैव सौहार्दपूर्ण एवं सौजन्य व्यवहार सुनिश्चित करेंगें। इस उद्देश्य से कि जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को अपनी शासकीय प्रतिबद्धताओं की पूर्ति, विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने तथा जनसामान्य से जुड़ी समस्याओं के निराकरण एवं जन महत्व के कार्यों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता एवं पूर्ण मनोयोग के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का यथेष्ट अवसर प्राप्त हो और शासकीय दायित्वों के निर्वहन के प्रति उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके, यह निर्णय किया गया है कि उन्हें मा0 मंत्रिगण के स्वागत एवं शिष्टाचार भेंट हेतु उपस्थित होना आवश्यक नहीं होगा। जनहित से सम्बन्धित किसी प्रयोजन अथवा किसी अति महत्वपूर्ण शासकीय कार्यहित में यदि आवश्यक हो और तत्सम्बन्ध में मा0 मंत्रिगण के निदेश प्राप्त हों तो वे उनसे शासकीय अतिथिगृह/कार्यालय में भेंट करेंगें।

मंत्रिगण के गृह जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों के भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान उनके आगमन के समय सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उनका स्वागत करेंगें तथा मा0 मंत्रिगण के आगमन की सूचना जिला प्रशासन को देंगें। सम्बन्धित जिलाधिकारी मा0 मंत्रिगण के स्वागतार्थ एक उप जिलाधिकारी तथा क्षेत्राधिकारी को नामित करेंगें। जिला प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण पूर्व में प्रसारित निर्देशों के अनुसार उनसे भेंट करेंगें।

4— प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मा0 मुख्य मंत्री जी के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी/यथास्थिति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा विभागों के वरिष्ठतम् अधिकारी समय–समय पर जारी निदेशों के अनुसार मा0 मुख्य मंत्री जी से भेंट करेंगें।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जब शासकीय कार्यों से लखनऊ में हों, का जबतक अन्यथा कोई आदेश न हों, मा0 मुख्य मंत्री जी से भेंट करना आवश्यक नहीं होगा।

5— मा0 मंत्रीगण/मा0 राज्य मंत्रीगण/मा0 उप मंत्रिगण तथा विशिष्ट महानुभावों के प्रति जनपदों में उनके भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान बरते जाने वाले शिष्टाचार सम्बन्धी पूर्व निर्गत निदेशों के संकलन (प्रतिलिपि संलग्न) में समाविष्ट प्राविधान विशेषतः प्रस्तर–11, 12, 14 तथा 20 सुसंगत अंश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जांए।

भवदीय

(शशांक शेखर सिंह)
मंत्रिमण्डलीय सचिव।

संख्या–3321(1)प्रो0/51–2007–20(35)/2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3— पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त रेन्जों के महानिरीक्षक पुलिस, उत्तर प्रदेश।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6— राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
7— निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण/मा0 राज्य मंत्रिगण, उत्तर प्रदेश।
8— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(नवनीत सहगल)
सचिव,
मा0 मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल